–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 157/2022

उनवान

सुनिल कुमार पुत्र बद्रीनारायण जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम नसीराबाद, अजमेर
––वादी :–जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. शिवराज पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर, 2 जरियें राज. पैरोकार

3. अनिल कुमार बद्रीनारायण जाति माहेश्वरी नि0 नसीराबाद,
4. अनवर खां पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान,
5. अब्दुल रउफ पुत्र अब्दुल गनी,
6. मनोज झंवर पुत्र नन्दकिशोर झंवर,
7. सुनिता देवी पत्नी मनोज जाति माहेश्वरी नि0 नसीराबाद

–– प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 4 जरियें परमेश्वर रावत,
6 व 7 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.4.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 77/89 के खसरा नम्बर 310/0.21, 311/0.21 व खसरा नम्बर 312/1302 रकबा 0.39 वाद व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 310 व 312/1302 के कोने पर अवैध निर्माण कार्य करना आरम्भ कर दिया है। साथ ही वादी को उसकी खातेदारी आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 6 से 7 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने वाद विचारण के दौरान निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नही है। वादी के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की तामीली नही करायी गयी।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण वाद कायम नही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 77/89 के खसरा नम्बर 310/0.21, 311/0.21 वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की सहखातेदारी में है व खसरा नम्बर 312/1302 रकबा 0.39 वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की खातेदारी में है। प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतनाजा पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतवादी संख्या 1 ने वाद का खण्डन भी नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी पर कोई दखलदांजी अथवा निर्माण करने का विधिक अधिकार नही है। वादी आराजी मुतनाजा का खतेदार होने के कारण प्रकरण बहक वादी सिद्व होता है। वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त कने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 77/89 के खसरा नम्बर 310/0.21, 311/0.21 व खसरा नम्बर 312/1302 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुनिल कुमार बनाम शिवराज

दावा बाबत :– 188, 92अ राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 157/2022
पेश करने की दिनांक – 11.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई परमेश्वर रावत व जितेन्द्र गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 77/89 के खसरा नम्बर 310/0.21, 311/0.21 व खसरा नम्बर 312/1302 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 4 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद